



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 430) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

I/E 5 u0fo0@xBu&18@2020&984/uEfoE ,o vK(EfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नालन्दा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत राजगीर का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4364 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् राजगीर	हसनपुर-473 दरियापुर-474 हंसराजपुर-459 उजरपुर-458 रसलपुर-460 महुअला-487 पीलखी-484 नेकपुर-486 ठेरा-489 नीमा-488 मेरा, चदरा नं0-1-490	नई पोखर, पिलखी, मेयार (पूर्ण भाग) नाहुब, (आंशिक भाग)	उत्तर-बेलौआ-470, नाहुब-476, पथरौरा-480 दक्षिण-वनगंगा फलडू-06 पूरब-लहुआर, विरचैत, आयुद्ध निर्माण फैक्ट्री के पूर्वी दीवार-461, 462 पश्चिम- कटारी-501	57072

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद राजगीर कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
vjfoUn dekj >k]
ljdkj d l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 430-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>